कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

पृ0क्रमांक.....4250...../चार–3–1/94 छतरपुर, दिनांक...19.../12/2024

प्रतिलिपि यथाआदेशः–

01. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र प्रारुप प्रेषित कर लेख है कि, स्थानीय बाजार से निविदा आमंत्रित कर दिनांक 03.01.2025 के कार्यालय समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र प्रारुप प्रेषित कर लेख है कि, जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

03. आवक–जावक लिपिक, कार्यालय अनुभाग, छतरपुर की ओर निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र प्रारुप प्रेषित कर लेख है कि, उक्तानुसार निविदा संबंधी प्रपत्रों को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, छतरपुर में प्रोटोकॉल व्यवस्था के उपयोग हेतु निविदा शर्तो के अंतर्गत इनोवा क्रिस्टा एवं अन्य समकक्ष एस.यू.व्ही./अर्टिगा वाहन किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाना है। उक्त निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 03.01.2025 के कार्यालय समय तक** है। सील बंद निविदायें समस्त दस्तावेज सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को संबोधित करते हुए नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय छतरपुर में जमा करना होगी। प्राप्त निविदायें अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के पास सुरक्षित होगा। विस्तृत निविदा दस्तावेज जिला न्यायालय छतरपुर की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्न :– निविदा शर्ते एवं निविदा प्रपत्र प्रारुप।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

:: निविदा की शर्ते ::

01. वाहन प्रदाता/फर्म के नाम कम से कम 03 वाहन मध्यप्रदेश के किसी भी परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये।

02. ट्रेवलिंग एजेन्सी के नाम से ट्रेवलिंग एजेंट का लायसेंस होना अनिवार्य है। सत्कार व्यवस्था के दौरान उपलब्ध कराये गये वाहन का पंजीयन व्यवसायिक वाहन (टैक्सी परमिट) की श्रेणी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्रमाणीकरण होना चाहिये।

03. वाहनों की स्थिति व रख–रखाव उत्तम श्रेणी का हो, जिले में आने वाले माननीय अतिथि की गरिमा अनुरुप राष्ट्रीय ध्वज (फ्लेग राड) एवं व्हाईट सीट कवर सहित आवश्यक साज–सज्जा सहित वाहन प्रदाय करने होगें।

04. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में रहेगा। वाहन चालक आपराधिक चरित्र का न हो। उसके पास वैध कमर्शियल वाहन संचालन का लायसेंस हो। चालक के वेतन एवं भत्ते के भुगतान का उत्तरदायित्व ट्रेवल एजेंसी/वाहन मालिक का ही रहेगा।

05. वाहनों का संपूर्ण रख–रखाव जैसे टायर, ट्यूब, स्टेपनी, बैटरी, सेल्फस्टार्ट, माईलोमीटर दुरुस्त रखने एवं माननीय अतिथि के पदनाम की रेडीयम प्लेट मय रैग्जीन कवर सहित उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व फर्म/वाहन प्रदाता का रहेगा।

06. अल्पावधि सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मांग किये जाने के एक घंटे (साठ मिनिट) के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना अनिवार्य होगा।

07. वाहन के वैध दस्तावेज पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कॉन्प्रीएनसिव बीमा होना अनिवार्य है।

08. वाहन में तकनीकी खराबी होने के कारण यदि आवश्यकतानुसार वाहन के उपयोग में बाधा आती है, तो तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

09. शासन द्वारा लगाये गये सभी प्रकार के करों (टैक्स) को नियमानुसार जमा करने का दायित्व फर्म/वाहन प्रदाता का होगा। यदि वाहन प्रदाता द्वारा समय पर कर (टैक्स) जमा नही किया जाता है, तो देय राशि से समायोजन किया जावेगा।

10. सत्कार व्यवस्था एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु पी.ओ.एल. सहित वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संधारित लॉकबुक की प्रमाणित प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें।

11. सत्कार वाहन व्यवस्था हेतु एजेन्सी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात धरोहर राशि रुपये 1,000/–(रुपये एक हजार मात्र) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के नाम एफ0डी0 जमा करना आवश्यक है। जो कि अनुबंध समाप्ति पर एजेन्सी संचालक/वाहन प्रदाता को वापसी योग्य होगी।

12. अलग–अलग मॉडल के वाहन हेतु पृथक–पृथक प्रस्तुत की जाने वाली दर भारत सरकार एवं म.0प्र. शासन के समस्त टैक्स को समाविष्ट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी इत्यादि का कोई बंधन नही होगा।

14. आकस्मिक रुप से वाहन रास्ते में खराब होने पर गैरेज तक पहुंचाने एवं 01 घण्टे में दुरुस्त कराकर पुनः उपलब्ध कराना होगा। वाहन मरम्मत हेतु गैरेज में रहने पर अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा रुपये 1,000/–(रुपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से किराये में अर्थदण्ड की कटौती की जावेगी।

15. व्ही.व्ही.आई.पी./व्ही.आई.पी. वाहन सफेद कलर एवं वर्ष 2022–23 के पूर्व का मॉडल नही होगा एवं वाहन पूर्णतः दुरुस्त हालत में होना चाहिये।

16. वाहन प्रदाता निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रुप में राशि रुपये 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जानी होगी, जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापसी योग्य होगी।

17. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता/फर्म का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरुप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है, तो उसकी संपूर्ण जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।

18. वाहन को किराये पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति पर निविदाकर्ता/फर्म संचालक को रुपये 1,000/–(रुपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना आवश्यक होगा।

19. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेख भी अनुबंध के अंग होगे।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।

21. वाहन के किराया राशि के भुगतान में यदि कोई विशेष कारण (तकनीकी खराबी या आवंटन अभाव) से विलंब होता है, तो इसके लिये कोई ब्याज अथवा शुल्क देय नही होगा और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22. वाहन प्रदाता/फर्म द्वारा समयावधि में वाहनों की व्यवस्था नही की जाती है, तो अन्य किसी निजी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से अनुमोदित निर्धारित दरों पर वाहन किराये से लेने हेतु कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

:: **निविदा प्रपत्र** ::

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर में प्रोटोकॉल व्यवस्था हेतु किराये पर वाहन प्रदाय करने के लिये मेरे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जाती है :–

01 निविदाकर का नाम :–

02 वाहन का प्रकार :–

03 वाहन का क्रमांक :–

04 वाहन का विवरण मॉडल/क्रय दिनांक :–

05.

क्र.	वाहन का प्रकार	किराया जिले के अन्दर प्रतिदिन	किराया जिले के बाहर प्रतिदिन	दर प्रतिदिन/प्रति किलोमीटर
01	02	03	04	05
1				
2				
3				
4				
5				

06. निविदाकार द्वारा संलग्न अर्नेस्ट मनी डिपाजिट का विवरण :–

अ बैंक का नाम :–

ब बैंक ड्रफ्ट क्रमांक :–

स दिनांक एवं राशि रुपये :–

07. निविदाकार द्वारा वाहन से संबंधित समस्त वैध दस्तावेजो की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जावे।

मुझे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तें मान्य है।

हस्ताक्षर निविदाकार
निविदाकार का नाम एवं
पूर्ण पता, सम्पर्क नम्बर सहित